रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 67] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 23, 1971/माघ 3, 1892

No. 67] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 23, 1971/MAGHA 3, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT & INTERNAL TRADE

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January 1971

S.O. 436/IDRA/29B/71/3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Department of Industrial Development) No. S.O. 2443/IDRA/29B/70/5, dated the 18th July, 1970, namely:—

In the said notification, in paragraph 2 for the words "three months", the words "eight months" shall be substituted.

[No. F. 13(4)/Lic.Pol./70.]

K. D. N. SINGH, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास और आन्तरिक व्यापार मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी 1971

का० आ० 536/**आई० डी० आर० ए/29 बी/71/3.**—उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के औद्योगिक विकास और आन्तरिक व्यापार मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 2443/आई० डी० आर० ए०/29 बी०/70/5, ता० 18 जुलाई, 1970 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, पैरा 2 में "तीन मास" शब्दों के स्थान पर "आठ मास" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं० फा० 13(4)/लिक-पोल/70]

के० डी० एन० सिंह, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971